

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2913]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 13, 2017/आश्विन 21, 1939

No. 2913]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017/ASVINA 21, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3328(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

और, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र है जिसमें केन्द्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में क्षेत्र 35.54 वर्ग किलोमीटर है और कई स्थानिक पौधों और पशुओं के लिए सबसे समृद्ध और विविध वनों, समुद्री, तटीय और मैंग्रोव पारिस्थितिकी प्रणालियों के एक अद्वितीय संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है और उक्त राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी अंडमान द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, यह डिगलीपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर (सड़क मार्ग से) और पोर्ट ब्लेयर से करीब 325 किलोमीटर दूर है; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 732 मीटर की ऊंचाई वाला सैडल पीक सबसे उच्च शिखर है; वन प्रकारों में (i) अंडमान उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे डिप्टेरोकार्पस ग्रैंडिफ्लोरस, आर्टोकार्पस चैपलाशा, साइडरक्रेलियन लॉंगियोपैटेलम, आदि (ii) दक्षिणी पहाड़ी उच्च उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे डिप्टेरोकार्पस कौसटाटस, मेसिया फेरिआ, कैनारियम मनी, होपिया अंडमानिका, आदि, (iii) अंडमान अर्ध सदाबहार वनों की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे डिप्टेरोकार्पस एसपीपी, आर्टोकार्पस चैपलाशा, पेटरोकार्पस डाल्वेर्गिएड्स, आदि, (iv) अंडमान नम पर्णपाती वनों की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे पेटरोकार्पस डाल्वेर्गियोइड्स, टर्मिनलिया बिलाटा, टी. मनी, बॉम्पाक्स इगिंग्स, लेगरस्टोमिया हाइपोलीयूका, आदि, (v) तटीय वनों की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे मैनिनकरा लिटोरलिस, पोंगामिया पिन्नाटा, कैलोफ्लैम इनोफ्युलम, आदि, (vi) मैंग्रोव वनों एवं ज्वारीय दलदल वनों की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे रिज़ोपोरा एसपीपी, ब्रुगुइएरा एसपीपी., एविसेनिया एसपीपी, एक्सलोकार्पस

एसपीपी, आदि, (vii) बेंट ब्रेक्स की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे कैलामस, और (viii) आर्द्र बांस ब्रेक्स की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे ओक्सिथेरिया निगरोसिलाटा, आदि,;

और, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान स्थानिक पौधों की प्रजातियां अर्थात् एल्डोनिया कुर्जी, पॉलयालथिया पार्किन्सोनी, पेटरोकार्पस डलबर्गियोडेस, डिनोचलोआ अंडमानिका, डेरिस अंडमानिका और अमुरा मनी, आदि, और दुर्लभ संकटापन्न पौधे अर्थात् बॉम्बैक्स ईसिगनिस, अमुरा मनी, प्लेकोस्पर्मस अंडमानिक, ग्रैम एसपीपी, पोडोकारपस एसपीपी और मंगिफेरा अंडमानिका आदि, का वास है;

और, उक्त राष्ट्रीय उद्यान से स्तनधारियों की 19 प्रजातियां अभिलिखित हैं जिसमें अंडमान जंगली सूअर, अंडमान मास्कड पाम सिवेट, जंगली बिल्ली, चमगादड़, (11 प्रकार) चूहा, चित्तीदार हिरण, आदि, है; यद्यपि, वास्तव में समुद्री द्वीपों, सरीसृपों, पक्षियों, उभयचरों, मछलियों और पौधों और समुद्री जैव विविधता के साथ अन्य निचले रूपों के कीड़ों और तितलियों की भौगोलिक अलगाव के कारण बड़े स्तनधारी जीवों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व है; सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से सरीसृपों जीवजन्तु की लगभग 16 प्रजातियां अभिलिखित की गई है जिसमें साल्ट वाटर मगरमच्छ, लेदरबैक कछुआ, ऑलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, वाटर मॉनीटर छिपकली, गीको, किंग कोबरा, अंडमान कोबरा, अंडमान करैत और कई अन्य गैर जहरीले साँप सम्मिलित है; समुद्री तटों और निकटवर्ती वनस्पति में समुद्री साँप भी दिखाई देते हैं; राष्ट्रीय उद्यान कीड़े मकोड़ों और तितलियों की लगभग 227 प्रजातियों का वास है;

और, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान एवियन प्राणियों में बहुत समृद्ध है और राष्ट्रीय उद्यानों में 89 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं जिनमें अंडमान ब्लैक क्रेस्टेड बाजा, अंडमान वुड कबूतर, अंडमान क्रेक, अंडमान ब्लैक कठफोड़वा, अंडमान कौवा तीतर, अंडमान डार्क सरपेंट ईगल, अंडमान एमरलड फाखता, अंडमान ग्रीन इंपीरियल कबूतर, अंडमान ग्रे रम्पड स्विफ्टलेट, अंडमान ग्राउंड थ्रश, अंडमान हिल मैना, अंडमान कोयल, अंडमान रेड-विस्केर्ड बुलबुल, अंडमान व्हाइट ब्रेस्टेड जल मुर्गी, अंडमान व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, अंडमान व्हाइट कॉलर किंगफिशर, बरीमीड रेड कछुआ-फाखता, पूर्वी जंगल कौआ, लार्ज सैण्ड प्लोवर, छोटा सफेद बगुला, छोटा अंडमान ट्रोंगो, व्हाईट बेल्ट सी ईगल, व्हाईट बेल्टेड स्वीफ्टलेट शामिल हैं ;

और, समुद्र तट, नदी के तल, खाड़ी, कीचड़ समतल भूमि और साथ ही रेतीले समुद्र तट संकटापन्न प्रजातियों के लिए साल्ट वाटर मगरमच्छ, कछुआ और वाटर मानीटर छिपकली के लिए एक उत्कृष्ट आवास के रूप में सेवा प्रदान करते हैं और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के जंगल आसपास रहने वाले लोगों के क्षेत्र में कुछ हद तक मानवजनित दबाव का अनुभव होता है;

और, इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण अनिवार्य है तथा इसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और उक्त पारिस्थितिकी जोन में उद्योग या उद्योगों के वर्गों को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 16.84 वर्ग किलोमीटर, पूर्वी भाग की ओर 0 किलोमीटर से 0.6 किलोमीटर, एक किलोमीटर दक्षिण से पश्चिम की ओर, और 0.2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर से उत्तरी दिशा में सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के केन्द्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप में सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित की सीमा से पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत का क्षेत्र 16.84 वर्ग किलोमीटर के साथ दक्षिण, पश्चिम और उत्तरी दिशाओं की ओर एक किलोमीटर में फैला है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पूर्वी भाग की ओर 0 से 0.6 किलोमीटर तक विस्तृत है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य और उत्तरी अंडमान जिला के उत्तरी अक्षांश **13°6'56.848"** उत्तर से **13° 12'32.714"** उत्तर और पूर्वी देशांतर **92° 59' 57.689"** पूर्व से **93° 2' 25.282"** पूर्व के बीच स्थित है और इस अधिसूचना के सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(2) इस अधिसूचना के पारिस्थितिकी संवेदी जोन और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान का मानचित्र **उपाबंध- IIक** और **उपाबंध- IIख** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) इस अधिसूचना में महत्वपूर्ण अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के भू-निर्देशांक **उपाबंध- III** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत सभी क्षेत्रों की स्थिति आरक्षित वन है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की संघ राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए केन्द्र शासित सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) केन्द्र शासित सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी बातों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केन्द्र शासित के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि ;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिक;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग;
- (xii) मत्स्य पालन;
- (xiii) अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण और अन्य अनुसंधान संस्थान;
- (xiv) आदिवासी विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे पार्को और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यानों, झीलों और अन्य जलाशयों का अभ्यंकन करेगी। आंचलिक महायोजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीविका सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगी।

(8) सभी प्रकार के जहाजों, नौकाओं दोनों यांत्रिक और नियम अन्य जल शिल्प सहित एक आवास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और विशिष्ट प्रावधान क्षेत्रीय महायोजना में शामिल किए जाएंगे और ऐसे समय तक आंचलिक महायोजना तैयार होगी और अनुमोदित किया जाता है, कि विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटरी समिति नौकाओं, जहाजों आदि सहित यांत्रिक और नियम जल शिल्प के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(9) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मछली पकड़ने का अधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्री मत्स्य पालन विनियम, 2003 में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा और इसे एक आवास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और विशिष्ट प्रावधानों को क्षेत्रीय महायोजना में शामिल किया जाएगा और ऐसे समय तक आंचलिक महायोजना तैयार होगी और अनुमोदित किया जाता है, विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटरी समिति सभी क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केन्द्र शासित **सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** केन्द्र शासित सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्को और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्वी अनुमोदन के साथ और केन्द्र शासित सरकार के अन्य नियमों और यथा लागू विनियमों और इस अधिसूचना के उपबंधों जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास भी है; और
- (v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है;

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्वी अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् केन्द्र शासित सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक झरने** - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और केन्द्र शासित सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना को केन्द्र शासित पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्र शासित के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार तक, इसमें जो भी नजदीक हो होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे।

तथापि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटल और रिसोर्टों की स्थापना को पूर्वी परिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएगी तथा ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, केन्द्र शासित सरकार एवं वायु प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा

(8) **बहिष्काव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

- (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणियों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है। मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(14) **औद्योगिक इकाईयां** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के वर्गीकरण के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।

(15) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण**: - पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. प्रतिषिद्ध, विनियमित और संवर्धित क्रियाकलाप - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) नए (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिगत उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
5.	नई वृहत ताप और जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	प्राकृतिक ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	स्थानीय निवासियों की वास्तविक आवश्यकताओं के सिवायमीटर के पहाड़ी ढलानों पर 10 से 1 मीटर 100 और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया, मीटर तक कोई सन्नि जाएगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	फर्माँ, निगमों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्माँ की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	नदी जलीय संस्कृति।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
11.	बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक तरीके से यंत्रिकृत नाव से मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
विनियमित क्रियाकलाप		
12.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकटतम हो, कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के पश्चात या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकटतम हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु स्थानीय लोगों को संनिर्माण उपविधियों के अनुसार पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी।

		लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्वी अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।
14.	प्राकृतिक जल निकायों में बहिर्स्त्राव और ठोस अपशिष्ट का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्वी अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियमों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
19.	प्रवासी चारवाहे।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अधीन विनियमित होंगे।
20.	विद्यमान स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
22.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
23.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार मापदण्डों को पूरा करने के पश्चात किए जाएंगे।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
29.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, के प्रावधानों के अनुसार होगा।
31.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
32.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों, वायुयान, और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
33.	पारम्परिक मत्स्य-पालन।	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्य पालन विनियम, 2003 के अनुसार विनियमित होंगे।

संबंधित क्रियाकलाप		
34.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1	उपायुक्त, उत्तरी और मध्य अंडमान	अध्यक्ष;
2	अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तरी और मध्य अंडमान	सदस्य;
3	प्रभागीय वन अधिकारी, दिगलीपुर	सदस्य;
4	सहायक आयुक्त, दिगलीपुर	सदस्य;
5	कार्यपालक अभियंता, दिगलीपुर	सदस्य;
6	संयुक्त निदेशक, कृषि, उत्तरी और मध्य अंडमान	सदस्य;
7	निदेशक, पर्यटन या उसके प्रतिनिधि	सदस्य;
8	निदेशक, मत्स्य पालन या उसके प्रतिनिधि	सदस्य;
9	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, दिगलीपुर	सदस्य;
10	संघ क्षेत्रीय जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य;
11	केन्द्र शासित सरकार या राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	सदस्य;
12	एक प्रतिष्ठित संस्थान से पर्यावरण या पारिस्थितिकी या वन्य जीवन पर एक विशेषज्ञ	सदस्य;
13	प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) मेबंडर	सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन.-

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन के लिए होगा और बाद में मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्वी पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. सुप्रीम कोर्ट, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/09/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तरी – सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा उत्तरी अक्षांश 13°12'10.391" और पूर्वी देशांतर 92°59'28.284" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **ई** से आरंभ होकर और सीमा लगभग 1.176 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर जाकर और उत्तरी अक्षांश 13°12'32.371" और पूर्वी देशांतर 92°59'57.689" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **डी** तक पहुँचती है और इसके बाद यह लगभग 3.210 किलोमीटर की दूरी पर उसी अक्षांश में पूर्वी दिशा की ओर मुड़कर और उत्तरी अक्षांश 13°12'32.714" और पूर्वी देशांतर 93°01'44.337" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **सी** तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा लगभग 0.768 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण की ओर मुड़कर और उत्तरी अक्षांश 13°12'7.701" और पूर्वी देशांतर 93° 01'44.165" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **बी** तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा 1.239 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी अक्षांश 13°12'5.988" और पूर्वी देशांतर 93° 02'25.282" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **ए** की ओर जाकर और समुद्र पर समाप्त होती है।


पूर्वी – इसके बाद सीमा उत्तरी अक्षांश 13°12'5.988" और पूर्वी देशांतर 93° 02'25.282" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **ए** से आरंभ होकर और पूर्वी तट के उच्च ज्वार स्तर के साथ जाती है और 2.397 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी अक्षांश 13°10'52.9" और पूर्वी देशांतर 93°01'57.4" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **जे** तक पहुँचती है और इसके बाद सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से शून्य दूरी के समांतर सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा की ओर जाकर 6.795 की दूरी पर उत्तरी अक्षांश 13°07'29.468" और पूर्वी देशांतर 93°01'50.977" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **आई** से मिलती है इसके बाद सीमा तट की ओर जाकर और 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर के ग्रिड निर्देश के बिंदु **एच** की ओर जाती है।

दक्षिण – इसके बाद इसकी सीमा उत्तरी अक्षांश 13°06'56.848" और पूर्वी देशांतर 93°01'52.69" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **एच** से आरंभ होकर और पश्चिम की ओर जाकर और 3.486 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी अक्षांश 13°07'7.799" और पूर्वी देशांतर 92°59'57.439" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **जी** तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा 1.304 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी पश्चिम दिशा की ओर जाकर और उत्तरी अक्षांश 13°07'34.114" और पूर्वी देशांतर 92°59'27.834" के ग्रिड निर्देश बिंदु **एफ** पहुँचती है।

पश्चिम – इसके बाद सीमा उत्तरी अक्षांश 13°07'34.114" और पूर्वी देशांतर 92°59'27.834" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **एफ** से आरंभ होकर और 8.486 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी दिशा की ओर जाकर और उत्तरी अक्षांश **13°12'10.391"** और पूर्वी देशांतर **92°59'28.284"** के ग्रिड निर्देश बिंदु **ई** तक पहुँचती है।


सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान का स्थिति मानचित्र

LOCATION MAP OF SADDLE PEAK NATIONAL PARK



सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र

Map showing proposed Eco-Sensitive Zone of Saddle Peak National Park



उपाबंध -III**सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के महत्वपूर्ण स्थानों के भू-निर्देशांक**

स्टेशन	अक्षांश	देशांतर
ए	13°12'5.988"	93°02'25.282"
बी	13°12'7.701"	93°01'44.165"
सी	13°12'32.714"	93°01'44.337"
डी	13°12'32.371"	92°59'57.689"
ई	13°12'10.391"	92°59'28.284"
एफ	13°07'34.114"	92°59'27.834"
जी	13°07'7.799"	92°59'57.439"
एच	13°06'56.848"	93°01'52.69"
आई	13°07'29.468"	93°01'50.977"
जे	13°10'52.9"	93°01'57.4"

उपाबंध- IV**की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र - पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) की स्पष्ट त्रुटि में सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सार । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सार । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सार । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2017

S.O. 3328(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Saddle Peak National Park is a Protected Area having an area of 35.54 Square Kilometers falling in North and Middle Andaman District in the union territory of Andaman and Nicobar Islands and represents a unique combination of richest and varied forests, marine, coastal and mangrove ecosystems harbouring many endemic plants and animals and the said National Park is located in the Eastern part of North Andaman Island at a distance of about 30 Kilometer (by road) from Diglipur town and about 325 Kilometers from Port Blair; Saddle Peak having an altitude of 732 metres sea level is the highest peak in the Andaman and Nicobar Islands; forest types include (i) Andaman Tropical Evergreen Forests represented by species like *Dipterocarpus grandiflorus*, *Artocarpus chaplasha*, *Sideroxylon longepetalum*, etc., (ii) Southern Hill top Tropical Evergreen Forests represented by species like *Dipterocarpus costatus*, *Mesua ferrea*, *Canarium manii*, *Hopea andamanica*, etc., (iii) Andaman Semi Evergreen Forests represented by species like *Dipterocarpus spp*, *Artocarpus chaplasha*, *Pterocarpus dalbergioides*, etc., (iv) Andaman Moist Deciduous forests represented by species like *Pterocarpus dalbergioides*, *Terminalia bilata*, *T.manii*, *Bombax insignis*, *Lagerstoemia hypoleuca*, etc., (v) Littoral Forests represented by species like *Manilkara littoralis*, *Pongamia pinnata*, *Calophyllum inophyllum*, etc., (vi) Mangrove Forests or tidal Swamp forests represented by species like *Rhizophora spp*, *Bruguiera spp.*, *Avicenia spp*, *Xylocarpus spp*, etc., (vii) Cane Brakes represented by species like *Calamus*, and (viii) Wet Bamboo Brakes represented by species like *Oxytennthera nigrociliata* etc;

AND WHEREAS, the Saddle Peak National Park is home to endemic plant species namely *Alstonia kurzii*, *Polyalthia parkinsonii*, *Pterocarpus dalbergioides*, *Dinochloa andamanica*, *Derris andamanica* and *Amoora manii*, etc., and rare threatened plants namely *Bombax insignis*, *Amoora manii*, *Plecosperrum andamanicum*, *Gnetum spp*, *Podocarpus spp* and *Mangifera andamanica*, etc;

AND WHEREAS, nineteen species of mammals were reported from the said National Park which includes Andaman Wild pig, Andaman masked Palm civet, Jungle Cat, Bats (11 types), Rat, Spotted deer, etc., though the large mammalian fauna is not well represented due to geographic isolation of the truly oceanic islands, reptiles, birds, amphibians, fishes and other lower forms insects and butterflies along with plant and marine biodiversity are well represented in the National Park; about 16 species of reptilian fauna recorded from the Saddle Peak National Park includes Salt water crocodiles, Leatherback Turtle, Olive Ridley Turtle, Green Sea Turtle, Water monitor lizard, Gecko, King cobra, Andaman cobra, Andaman Krait and several other non poisonous snakes; Sea Snakes are also seen in the beaches and in the adjoining vegetation; the National Park is housing about 227 species of insects and butterflies;

AND WHEREAS, Saddle Peak National Park is very rich in avian fauna and 89 species of birds have been recorded from the National Park which includes Andaman Black Crested Baza, Andaman Wood Pigeon, Andaman Crane, Andaman Black Woodpecker, Andaman Crow Pheasant, Andaman Dark Serpent Eagle, Andaman Emerald Dove, Andaman Green Imperial Pigeon, Andaman Grey Rumped Swiftlet, Andaman Ground Thrush, Andaman Hill Myna, Andaman Koel, Andaman Red-Whiskered Bulbul, Andaman White Breasted Water Hen, Andaman White Breasted Kingfisher, Andaman White Collared Kingfisher, Burmese Red Turtle-Dove, Eastern Jungle Crow, Large Sand Plover, Little Egret, Small Andaman Drongo, White Bellied Sea Eagle, White bellied Swiftlet, etc;

AND WHEREAS, the sea shore, river beds, creeks, mud flats as well as sandy beaches serve as an excellent habitat for the endangered species like salt water crocodile, turtles and Water monitor lizard and the forest area around the Saddle Peak National Park experiences anthropogenic pressures to certain extent from the people living in the vicinity of the forests;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1of this notification, around the Saddle Peak National Park as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view to maintain the biological diversity at ecosystem, habitat, species, population and genetic levels and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the sub section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of Environment (protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 16.84 Square Kilometer as Eco-sensitive Zone around the Saddle Peak National Park, to extent varying from 0 km to 0.6 Kilometer towards East, one Kilometer towards South and West, and 0.2 Kilometer to 1 Kilometer towards North directions from the boundary of the Saddle Peak National Park in the Union territory of Andaman and Nicobar Islands as the Saddle Peak National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is comprising of an area of 16.84 square kilometers with an extent of one kilometer towards South, West and North directions and from 0 to 0.6 kilometers towards East side from the boundary of the Saddle Peak National Park and boundaries of Eco-sensitive Zone of Saddle Peak National Park, located in the district of Middle and North Andaman of Andaman and Nicobar Islands is situated between North Latitude *13° 6' 56.848" N to 13° 12' 32.714" N and East Longitude 92° 59' 57.689" E to 93° 2' 25.282" E* and the detailed Boundary description of Eco-sensitive Zone of Saddle Peak National Park is appended to this notification as **Annexure- I**

(2) The Map of the Saddle Peak National Park and its Eco-sensitive Zone is appended to this notification as **Annexure-II-A and Annexure- II-B.**

(3) Geo-coordinates of important locations of Eco-sensitive Zone of the Saddle Peak National Park is appended to this notification as **Annexure-III.**

(4) The status of all the area falling inside the Eco-sensitive Zone is Reserved Forests.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The Union territory of Andaman and Nicobar Islands Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in that notification for consideration and approval of the Competent authority in the Union territory Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by Union territory of Andaman and Nicobar Islands Government in such manner as is specified in the final notification and also in consonance with the relevant Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of Union territory of Andaman and Nicobar Islands for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department;
- (xii) Fisheries;
- (xiii) Andaman Lakshadweep Harbour Works and other Research Institutions;
- (xiv) Tribal department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) All types of ships, boats both mechanised and manual including other water crafts shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(9) Right of fishing in Eco-sensitive Zone shall be as per the provisions contained in the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulations, 2003 and shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in that regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time the Zonal Master Plan is prepared, the Monitoring Committee shall monitor the compliance all the activities as per the existing rules and regulation in force.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring as per the provisions of the final this notification.

3. Measures to be taken by Union territory Government .- The Union territory Government of Andaman and Nicobar Islands shall take the following measures for giving effect to the provisions of the final notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the Union territory Government to meet the residential needs of the local residents, and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities in paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the Union territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Union territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment area plan shall be drawn up by the State Union territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Union territory Department of Tourism in consultation with Union territory Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Saddle Peak National park or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the National Park till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of the final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of the final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.**- control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.-
- (7) **Air pollution.**- The Environment Department of the Union territory Government or Pollution Control Committee shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;
 - (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
 - (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
 - (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.**- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.
- (11) **Plastic Waste Management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Union territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (14) **Industrial units.** (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be permitted be established within the Eco-sensitive Zone as per the Central Pollution Board's categorisation.

(15) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. Prohibited, Regulated and Promoted Activities .-All activities in the Eco- sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	a) New (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the provision of the final notification shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also up to 100 meters from the banks of any river or natural nallah.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	River aqua culture	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Fishing by mechanised boat in large scale commercial manner.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:

		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws. The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
14.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
15.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
17.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the Union territory Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned laws and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
19.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
20.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
21.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).
22.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
23.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Uses of plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.
27.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
28.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
29.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
30.	Solid Waste Management.	Management of solid waste shall be as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 under Environment (Protection) Act, 1986.

31.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
32.	Undertaking activities related to eco-tourism like over-flying the National Park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
33.	Traditional fishing	Regulated in accordance with the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulations, 2003.
Promoted Activities		
34.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
38.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
40.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
42.	Skill development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-Sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

1	Deputy Commissioner, North & Middle Andaman	Chairman;
2	Chair-Person, Zilla Parishad, North And Middle Andaman	Member;
3	Divisional Forest Officer, Diglipur	Member;
4	Assistant Commissioner, Diglipur	Member;
5	Executive Engineer, Diglipur	Member;
6	Joint Director, Agriculture, North And Middle Andaman	Member;
7	Director ,Tourism or his representative	Member;
8	Director ,Fisheries or his representative	Member;
9	Senior Veterinary Officer, Diglipur	Member;
10	Member of the Union territory Biodiversity Board	Member;
11	One representative of Non-governmental Organisations working in the field of Environment (including heritage conservation) to be nominated by the Union territory or Central Government	Member;
12	One expert on environment or ecology or wild life from a reputed Institution	Member;
13	Divisional Forest Officer (WL) Mayabunder	Member Secretary.

6. Terms of reference.-

- (1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific

conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from the concerned Departments or associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Chairman or Member Secretary, as the case may be, of the Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provision of the final notification.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma given in **Annexure IV**.
- (8) The Ministry of Environment, Forests and Climate Change shall give such directions, as it deems fit from time to time to Monitoring Committee for effectively discharge its functions.

7. Additional measure.- The Central Government and Union territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of the final notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/09/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

Boundary description of Saddle Peak National Park eco sensitive zone


NORTH –Eco-sensitive boundary of Saddle Peak National Park starts from a point **E** at a grid reference of north latitude 13⁰12'10.391" and east longitude 92⁰59'28.284" and the boundary proceeds towards north east direction for a distance of about 1.176Km and reaches a point **D** at a grid reference north latitude 13⁰12'32.371" and east longitude 92⁰59'57.689", and then it turns towards east direction at the same latitude for a distance about 3.210 Km and reaches a point **C** at a grid reference of north latitude 13⁰12'32.714" and east longitude 93⁰01'44.337". Then the boundary turns towards south to a distance of about 0.768Km and reaches a point **B** at grid reference of north latitude 13⁰12'7.701" and east 93⁰ 01'44.165". Then the boundary proceeds to a point **A** for a distance 1.239Km at a grid reference of north latitude 13⁰12'5.988" and east longitude of 93⁰ 02'25.282" and ends at sea.

EAST – thence the boundary starts from a point **A** at grid reference of north latitude 13⁰12'5.988" and east longitude of 93⁰ 02'25.282" and proceeds along the High tide level of the east coast and reaches a Point **J** at a grid reference of north latitude 13⁰10'52.9" and east longitude 93⁰01'57.4" at a distance of 2.397 km and thereafter the boundary of ESZ of Saddle Peak National Park will follow the boundary of Saddle Peak National Park paralleling at 0 distance and meets at a point **I** at a grid reference of north latitude 13⁰07'29.468" and east longitude 93⁰01'50.977" after traversing a distance of 6.795Km. Thereafter the boundary will follow the coastal boundary and proceeds further to a point **H** at a grid reference of north latitude 13⁰06'56.848" and east longitude 93⁰01'52.69" covering a distance of 1.0 km.


SOUTH – Thence the boundary starts from a point **H** a grid reference of north latitude 13⁰06'56.848" and east longitude 93⁰01'52.69" and proceeds towards west and reaches a point **G** at a distance of 3.486 Km at a grid reference of north latitude 13⁰07'7.799" and east longitude 92⁰59'57.439". Then the boundary proceeds towards North West direction for a distance of 1.304 Km and reaches a point **F** grid reference of north latitude 13⁰07'34.114" and east longitude 92⁰59'27.834".

WEST – Thence the boundary starts from the point **F** at a grid reference of north latitude 13⁰07'34.114" and east longitude 92⁰59'27.834" and proceeds towards north direction to a distance of 8.486Km and reaches a point **E** at a grid reference North latitude **13⁰12'10.391"** and East longitude **92⁰59'28.284"**.

LOCATION MAP OF SADDLE PEAK NATIONAL PARK



Map showing proposed Eco-Sensitive Zone of Saddle Peak National Park



ANNEXURE-III**Geo co-ordinates of important locations of ESZ of Saddle Peak National Park**

Stations	Latitude	Longitude
A	13 ⁰ 12'5.988"	93 ⁰ 02'25.282"
B	13 ⁰ 12'7.701"	93 ⁰ 01'44.165"
C	13 ⁰ 12'32.714"	93 ⁰ 01'44.337"
D	13 ⁰ 12'32.371"	92 ⁰ 59'57.689"
E	13 ⁰ 12'10.391"	92 ⁰ 59'28.284"
F	13 ⁰ 07'34.114"	92 ⁰ 59'27.834"
G	13 ⁰ 07'7.799"	92 ⁰ 59'57.439"
H	13 ⁰ 06'56.848"	93 ⁰ 01'52.69"
I	13 ⁰ 07'29.468"	93 ⁰ 01'50.977"
J	13 ⁰ 10'52.9"	93 ⁰ 01'57.4"

ANNEXURE-IV**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.